

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक: 112243

वार्षीय जिला शिक्षा अधिकारी (सागर), मध्यप्रदेश

स्कूल: NIRMAL JYOTI HR SEC BINA

मान्यता का प्रकार - नवीन मान्यता

मान्यता दिनांक - 01/04/2021

सत्र - 2020-21

प्रति,

प्रबंधक (NIRMAL JYOTI HR SEC BINA)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 18/01/2021 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - NIRMAL JYOTI HR SEC BINA डाइस कोड - 23110418002 स्कूल क्रमांक - PS 112243 को कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2024 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यर्थीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्हता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के विचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पद्धतीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस के संयह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा -
 - (क) आयु के सूत्र के आधार में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चायत ऐसा प्रवेश घाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलदर्श, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

- किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
- किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोई परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशब्द/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
- अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहता प्राप्त करनी होगी

Signature valid

Digitally signed by
Singh Chakur
Date: 2021/03/31
20:50:37 +05:30
Reason: Digitally signed
Location: NIC

Ajab

○ प्रायवेट ईचिंग कि गतिविधियाँ में शिक्षक स्वयं भाग नहीं संगें/संगी

○ स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यरथ्यां का अनुसरण करेगा

○ अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

○ स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

S. Jherere
Secretary
Nirmal Jyoti Society
Bina 470 113
Sagar Dist. M.P.

S. Juena
Principal
Nirmal Jyoti Hr Sec. School
(a unit of Nirmal Jyoti Society)
Bina, M.P. 470113